निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1297) पटना शुक्रवार 23 अक्तूबर 2026

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

22 अक्तूबर 2026

सं0 प्र0–I–का0वि0–02/2024/6827/एम०—बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 के नियम– 51(1)(घ) में पर्यावरण प्रबंधन शुल्क एवं प्रबंधन शुल्क (Environment Management Cess and Management Fee) का प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत हैः–

(क) प्रत्येक खनन समानुदान धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–खनन पट्टा या परमिट धारक या किसी अन्य समानुदान धारक को, स्वामिस्व एवं अन्य करों के अतिरिक्त वार्षिक नीलामी/बंदोबस्ती राशि/समेकित स्वामिस्व/स्वामिस्व का 1%, या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर के बराबर राशि पर्यावरण प्रबंधन शुल्क एवं प्रबंधन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। यह दर सभी पट्टों के मामले में वार्षिक नीलामी/पट्टा राशि के विरुद्ध गणना की जायेगी, ईंट मिट्टी के मामले में निर्धारित श्रेणी के अनुसार समेकित स्वामिस्व/परमिट धारक द्वारा देय रॉयल्टी के विरुद्ध गणना की जाएगी। विद्यमान पट्टा धारक/परमिट धारक/खनिज समानुदान धारक भी इस शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) इस मद में एकत्रित राशि का उपयोग विभाग द्वारा संचालित विद्यमान सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशनों के रख–रखाव एवं सुदृढ़ीकरण तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम

एवं/या पर्यावरण संरक्षण एवं/या बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित उद्देश्य के लिए की जाएगी।

(ग) निर्धारित तिथि तक भुगतान में चूक के लिए, खनिज समानुदान धारक से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

2. उपरोक्त प्रावधान दिनांक– 23.10.2026 से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1297-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

UNCOMPLY CAT Simplifying Compliance